

# कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर)  
(ceo nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांक:—

दिनांक:—

## ई-निविदा सूचना

U. B. No..... DLB2223SLOB25218

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की बाब केट मशीन के रिपेयर पश्चात् रखरखाव एवं संचालन हेतु निविदाएँ अनुभवी एवं योग्य प्रतिगोगियों से ई निविदा प्रक्रिया से आंमत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in), [www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs](http://www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs) एवं [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त  
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक:— ३५१६—३५२७

दिनांक:— ०६/०१/२०२३

प्रतिलिपि:—

- 1 निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 2 अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 3 उपायुक्त (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 4 लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 5 अधिशासी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 6 बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 7 प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाइट [www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs](http://www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs), [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करें।
- 8 राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हा एवं एक क्षैत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
- 9 सहायक अभियंता (यांत्रिक) गैरेज शाखा दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करावें।
- 10 नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 11 गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।

आयुक्त  
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

## कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)  
(ceo\_nnji@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

मांक:- ३५।६

दिनांक:- ७।०।१।२३

### ई-निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर दक्षिण, जोधपुर की ओर से निविदा शर्तों के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मों/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

### महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	१०।०।।।२०२३	५.०० P.m.
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	१।।।०।।।२०२३	१।।.३० A.m.
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	०।।।०२।।।२०२३	३.०० P.m..
निविदा शुल्क/धरोहर राशि /ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क के डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति गैरेज शाखा नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	०।।।०९।।।२०२३	३.३० P.m.,
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	०।।।०४।।।२०२३	५.०० P.m.

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रं. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये में)	धरोहर राशि (रुपये में)	निविदा शुल्क (रुपये में)	प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)	कार्य की अवधि
1	बोब केट मशीन को यथास्थिती में प्राप्त कर रिपेयर पश्चात् ५, वर्षीय रखरखाव संचालन कार्य मय संचालक, POL, रिपेयर, Spare एवं अन्य मिसलिनीयस खर्च	70 लाख	1,40,000/-	2,000/-	1,000/-	5 वर्ष

## निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. निविदा की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करानी होगी।
2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती हैं, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रक्रिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी./बैंकर चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय कक्ष 111 में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	₹.000/-	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
2.	धरोहर राशि	1,40,000/-	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
3.	ई-टेप्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	1000/-	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

4. प्रदत्त दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना, सेवानिवृत्ति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति, निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समर्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

ल  
आयुक्त  
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

# कार्यालय नगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)  
(ceo nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांक

दिनांक:-

बोब केट मशीन के रिपेयर पश्चात् 5, वर्षीय रखरखाव संचालन कार्य मय  
संचालक, POL, रिपेयर, Spare एवं अन्य मिसालिनीयस खर्च

## 1. कार्य की परिभाषा :-

1. निविदादाता को निविदा सुचना में दिये निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया से प्रस्तुत करना होगा निविदा दो लिफाफो पद्धति द्वारा इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया से प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम तकनिकी बिड एवं द्वितीय वित्तीय बिड होगी। तकनिकी बिड में योग्य पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी। वित्तीय बिड खोलने की सुचना प्रथक से प्रेषित की जायेगी।
2. निगम द्वारा निविदादाता को 01 बोब केट मशीन यथा स्थिती में सुपुर्द की जायेगी जिनकी समय पाबन्द रिपेयर करवा संचालन एवं उचित रखरखाव हेतु संचालक मैकेनिक, हेल्पर, डीजल, ऑयल ल्युब्रिकेन्ट्स, पार्ट्स मरम्मत आदि की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।
3. मशीन का संचालन केरू ट्रीटमेंट प्लान्ट पर किया जायेगा। कार्य की समाप्ति पश्चात् मशीन उक्त रथल पर रखी जायेगी।
4. उक्त मशीन यथा स्थिती में सुपुर्द की जायेगी। जिसके रिपेयर एण्ड मेन्टेनेन्स पश्चात् संचालन एवं रखरखाव संवेदक के जिम्मे होगा। मशीन का अवलोकन अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
5. संविदा की अवधि 05 वर्ष अथवा अग्रिम आदेश तक होगी। संवेदक की दरे नई निविदा के कार्यादेश होने की दिनांक से 05 वर्ष पश्चात् नई निविदा होकर कार्यादेश जारी होने तक प्रभावी रहेगी। एवं संवेदक को तब तक कार्य जारी रखना होगा।
6. नियमित कार्यों के समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाइल टेलजीफोन की व्यवस्था रखनी आवश्यक होगी। जिसके अभाव में शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा।
7. निविदादाता द्वारा अधिकृत ऐजेन्सी से ओरिजनल इक्विपमेंट के साथ ही मरम्मत करवानी होगी। जिसके साक्ष्य स्परूप अधिकृत डीलर की Invoice प्रस्तुत करनी होगी। समस्त पुराने पार्ट्स निगम में जमा करवाने होंगे।
8. मशीन के कार्य का निर्धारण निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
9. निविदा में दर मय GST एवं सभी करों सहित देनी होगी।

10. कर्म द्वारा संचालन रखरखाव के लिये लगाये संचालक का समरत उत्तरदायित्व संवेदक का स्वयं का होगा किसी भी स्थिति में इस श्रमिक की सेवा व क्य सम्बन्धी मामले में विवाद पर नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा न ही किसी प्रकार का क्लेम देय होगा।
11. संवेदक को मशीन पर संचालक लगाने से पूर्व संचालक को फिजिकल ट्रेस्ट व व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार अधिशासी अभियंता (गैरेज) एवं आयुक्त पूल के समक्ष कराना होगा। साक्षात्कार में सफल होने पर मशीन सुपुर्द कि जावेगी।
12. मशीन को बिना कारण बताये बंद करने का अधिकार निगम हो रहेगा।

### हस्तान्तरण / सुपुर्दगी:-

1. निगम द्वारा उक्त मशीन निविदादाता को यथास्थिती में सुपुर्द की जायेगी। हस्तान्तरण के समय मशीन की केंडीशन का पूर्ण रिकार्ड रखा जायेगा हस्तान्तरण निम्न सदस्यों की उपस्थिती में किया जायेगा। (अ) सहायक अभियंता (यांत्रिकी), (ब) अधिशासी अभियंता (गैरेज)
2. पंच वर्षीय दर अनुबंध की समाप्ति पर मशीन की सामान्य क्षति पुर्ति करते हुए चालू हालत में निगम को सुपुर्द करनी होगी।
3. दर संविदा अवधि में मशीन में होने वाली टूट फूट या खराबी के लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

### कार्य विधि :-

1. संचालन
2. सामान्यतया मशीन का संचालन 10 घण्टे (प्रातः 7 बजे से सांय 7 बजे) के कुल समय में आवश्यकतानुसार 8 घण्टे की कुल कार्य अवधि के लिए किया जायेगा। 8 घण्टे से अधिक कार्य करने पर अनुपातिक रूप से अतिरिक्त भूगतान देय होगा एवं 8 घण्टे से कम कार्य पर अनुपातिक कटौति की कार्यवाही भी की जायेगी।
3. जिसका निर्धारण उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा। मशीन का संचालन पुरे माह (30 / 31 दिन) किया जायेगा। माह में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
4. संचालक मशीन के संचालन हेतु दक्ष व प्रशिक्षित वैध लाईसेन्सधारी होना आवश्यक है। इसके अभाव में हुई किसी भी शासकीय या आर्थिक हानि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा।
5. निविदादाता को संचालक आदि का उपयुक्त बीमा इन्श्योरेन्स कराना होग एवं श्रम नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी। निविदा कार्य के दौरान उपयुक्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
6. लेबर चालक के अनुशासित समय पाबन्द मृदुभाषी होना आवश्यक है उसके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के लिये निविदादाता ही जिम्मेदारी होगी व ऐसी स्थिति में प्लांट प्रभारी के निर्देश या मांग पर उसी दिवस को उपर्युक्त लेबर, चालक को बदलना होगा। इस शर्त की पालना नहीं करने पर शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।
7. किसी कारण वश प्लांट के बंद रहने पर उस दिन की निस्क्रिय दर वित्तीय प्रस्ताव में निविदादाता को प्रस्तुत करनी होगी।

(A)  
✓

### 8. उपलब्ध मशीन संचालक का विवरण

क्र.सं.	मशीन संचालक का नाम व पता	ड्राइविंग लोइसेन्स नम्बर	लाइसेन्स की वैद्यता
1			

सफल संवेदक को मशीन चालक के वैद्य लाईसेन्स की प्रति प्रारम्भ से पूर्व निगम अभियंता (प्लांट) को प्रस्तुत करनी होगी।

- संवेदक द्वारा कर्मचारी को कार्य के दौरान PPE उपलब्ध करवाने होंगे। सुरक्षा उपकरण जैसे वर्दी, मास्क, Sefty Shoes, हेल्मेट, हैण्ड गलवज इत्यादि अपने स्तर पर व्यवस्था कर हमेशा कार्य के दौरान साथ रखने होंगे। कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा। सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।

### 4. रखरखाव :-

- मशीन का रखरखाव या संचालन का कार्य उक्त मशीन में मेन्टीनेन्स शिड्यूल या वर्कशॉप शिड्यूल या सामान्य रखरखाव निविदादाता द्वारा कराया जायेगा। यदि मरम्मत व रखरखाव में किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि की जाती है। तो निगम द्वारा कार्य या स्पेयर पार्ट या ल्युब्रिकेन्ट्स इत्यादि की आपूर्ति कर मशीन का संधारण किया जायेगा। जिसकी कटौती बिल से की जायेगी।
- निविदादाता द्वारा मशीन से सम्बन्धित सभी प्रकार के रिपेयर मेन्टेनेन्स करवा कर निरन्तर Operation में रखनी होगी मशीन एक घन्टे से अधिक बन्द नहीं रहनी चाहिये एक घन्टे से अधिक मशीन के बंद रहने पर कटौति घंटे के अनुसार अनुपातिक कटौती से दुगनी की जायेगी।
- निविदादाता रखरखाव का समयबद्ध कार्यक्रम व सूचना प्लांट प्रभारी को देंगे निगम अभियंता मौके पर ही उक्त कार्यवाही का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट देंगे।

### 5. दुर्घटना:-

- मशीन को दुर्घटना की स्थिति में समर्त नुकसान की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। वाहनों का उचित बीमा कराने की जिम्मेदारी निगम की होगी। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा। संचालन के दौरान समर्त खर्च संवेदक को वहन करना होग।
- दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण मशीन से हुई टूट फूट के लिये निविदादाता जिम्मेवार होगा एवं समर्त व्यय संवेदक को वहन करना होगा।



### कार्य प्रमाणन :-

1. मशीन के कार्य का प्रमाणीकरण लोग बुक में प्लांट प्रभारी के हस्ताक्षर मय सील के अनुसार किया जायेगा कम या अधिक कार्य करने पर घण्टे अनुसार अनुपातिक भुगतान या कठोरी की जायेगी।
2. निविदादाता स्वयं द्वारा उपलब्ध कराई लॉग को भरे जाने एवं प्लांट प्रभारी या प्रभारी से प्रमाणित कराये जाने के लिए उत्तरदायी होगा। प्लांट प्रभारी को प्रमाणित लॉग बुक प्रस्तुत करने हेतु निविदादाता उत्तरदायी होगा।
3. प्रत्येक माह का बिल अगले माह की 10 तारीख तक प्लांट प्रभारी को प्रस्तुत करना होगा।
4. निर्धारित कार्य दिवसों पर अनुपरिधि रहने पर 1000 रु. प्रति मशीन प्रतिदिन शास्ति वसूल की जोयेगी। साथ ही अनुपरिधि दिवसों का नियमित भुगतान भी नहीं किया जायेगा। संचालक की अनुपरिधिती पर लोडर की वेकल्पिक व्यवस्था संवेदक द्वारा करने पर शास्ति में पूर्ण छूट दी जायेगी।
5. विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन कार्य हेतु मशीन का संचालन निगम सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर करवाया जा सकता है। इसका अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. मशीन का दुरुपयोग किये जाने की स्थिति में निर्देशों के विपरित संचालन की स्थिति में आयुक्त द्वारा बिना कारण बताये अनुबंध को निरस्त करने एवं निगम आपने विवक पर अन्य फर्म से कार्य करवाने हेतु स्वतंत्र होग एवं संवेदक विरुद्ध वित एवं लेखा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. समस्त शर्तों की पालना में मतभेद होने पर आयुक्त द्वारा व्याख्या की जायेगी। परन्तु दोनों पक्षों में विवाद होने पर आर्बिट्रेटर द्वारा निर्णय दोनों पक्षों का मानना होगा। आर्बिट्रेटर क्षेत्रिय उपनिदेशक स्थनीय निकाय विभाग जोधपुर होंगे।
8. निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर की रिस्क व कोस्ट पर भी अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा व फर्म को ब्लेक लिस्ट किया जाएगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. किसी भी विवाद में आयुक्त का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
10. निविदा संबंधित सा.नि.वि. एवं लेखानियम RTPP नियम की शर्तें भी यथा परिवर्तन लागू होगी।
11. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा।
12. मशीन का किसी भी कार्य दिवस पर प्रभारी द्वारा अवलोकरन किया जा सकता है।
13. कार्य आरम्भ से समाप्ती अवधि के दौरान प्लांट प्रभारी या उसके निर्देशानुसार भेजे गये फीटर द्वारा किसी भी समय मशीनों का निरीक्षण किया जा सकता है। एवं मशीनों की हालत ठीक नहीं होने पर संवेदक पर वाहन में होने वली वास्तविक क्षति के सम्बन्ध में ठीक कराने हेतु निर्देश जारी करेगा जिसकी पालना संवेदक को करनी होगी।
14. मशीन के रखरखाव के अभाव में या अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं करने पर 1000/- रु. प्रतिदिन मशीन शास्ती प्रस्तावित की जायेगी।



### संवेदक की पात्रता :-

1. निविदा के साथ निविदादाता को यांत्रिक मशीनों से सम्बन्धित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
2. फर्म को पिछले सात वित्तिय वर्षों में न्यूनतम 40 लाख तक का एक कार्य राजकीय विभाग/स्वायत्तशासी संस्था/नगर निगम आदि में कार्य करने का अनुभव होना चाहिये। इसके साक्ष्य रूप सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता का पेन न., सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
4. धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं प्रक्रिया शुल्क के लिए निर्धारित राशि की डी.डी./बैंकर चैक की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
5. निविदादाता को अण्डरटेकिंग निविदा के साथ सलंगन प्रारूप (परिशिष्ठ - ब) में प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदादाता का पिछले तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर रूपये 50 लाख होना आवश्यक है। इसके लिए निविदा के साथ सी.ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र या सी.ए द्वारा अंकेक्षित वार्षिक लेखे या आयकर रिटन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
7. साझेदारी फर्म होने की दशा में साझेदारी डीड की प्रति, कम्पनी की दशा में कम्पनी एकट में रजिस्ट्रेशन की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

आयुक्त  
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ़ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता  
नाम मय मोहर



## कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)  
(ceo nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

### वित्तीय बिड

कार्य का नामः— बोब केट मशीन के रिपेयर पश्चात् 5, वर्षीय रखरखाव संचालन कार्य मय संचालक, POL, रिपेयर, Spare एवं अन्य मिसलिनीयस खर्च

क्र. सं.	कार्य का प्रकार	दर (सभी करो सहित)
1	बोब केट मशीन के रिपेयर पश्चात् 5, वर्षीय रखरखाव संचालन कार्य मय संचालक, POL, रिपेयर, Spare एवं अन्य मिसलिनीयस खर्च	(Working Rate) ..... रूपये प्रति मशीन, प्रति दिन / 8 घण्टे

निविदादाता हस्ताक्षर  
नाम मय मोहर

## —:: अण्डर-टेकिंग ::—

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य हैं, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत हैं।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमने (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 40 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि नगर निगम द्वारा निविदा में अंकित कार्य हेतु मांग अनुसार संख्या में 3- व्हीलर सवारी टैक्सी उपलब्ध करवा देंगे।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, भार्ती, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक : .....

निविदादाता का नाम व  
हस्ताक्षर मय सील

# Municipal Corporation Jodhpur South

## Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

### Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to Commissioner, Municipal Corporation Jodhpur South for procurement of -----  
---- in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated ..... We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date: \_\_\_\_\_ Signature of Bidder

Place: \_\_\_\_\_ Name:

Designation:

Address:



 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b> <b>साधिकार प्रकाशित</b> <b>पौष 22, बुधवार, शाके 1943-जनवरी 12, 2022</b> <i>Pausa 22, Wednesday, Saka 1943- January 12, 2022</i>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b> <b>Published by Authority</b> <b>भाग 4 (ग)</b> <b>उप-खण्ड (I)</b>
---	---	---

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

### FINANCE (G&T) DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

**Jaipur, January 12, 2022**

**G.S.R.398 .-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-**

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2022.  
 (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of rule 75.-** In rule 75 of the said rules,-

- (i) in proviso to sub-rule (2), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted; and
- (ii) in proviso to clause (f) of sub-rule (3), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted.

[No. F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017]

**By Order of the Governor,**

Vimal Kumar Gupta,  
**Joint Secretary to the Government.**

— 1936 —  
**Government Central Press, Jaipur.**



राजस्थान सरकार  
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग



क्रमांक : एफ.2(1)वित्त / जीएण्डटी-एसपीएफसी / 2017

जयपुर, दिनांक : 23.12.2020

### परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त / जीएण्डटी – एसपीएफसी / 2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सप्तित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/- रुपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

### संलग्न— उपरोक्तानुसार

*(ज्ञानाम्)*  
(विमल कुमार गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समरत अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

*(अमृता)*  
23/12/2020  
संयुक्त शासन सचिव

## Form of Bid-Securing Declaration

Date :

Bid No. :

Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :-----

Name :-----

In the capacity of :-----

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on      day of

Corporate Seal -----

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]